बाकुलात / [illegible]

डायरी संख्या | टिप्पणी (क्रमिक)

आज दिनांक [illegible] को पत्रावली [illegible] गई। अभिभावक मंच द्वारा [illegible] किये जाने के कारण, बहिष्कार/कार्यस्थगित किये जाने के कारण, न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकी। बी.ओ.स. अन्य कार्य में [illegible] अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 21/11/24 को पेश हो।

पत्रावली आज दिनांक 7/11/24 को पेश हुई वकील प्रार्थी-अप्रार्थी/वादी-प्रतिवादी उपस्थित हुये। मतलबी/[illegible] तलबी/साक्ष्य/कार्यवाही/प्रा.जवाब/[illegible] पूर्वानुसार दिनांक 21/11/24 को पेश हो।

21/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस 7 पर सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय इस्तवाद अवलोकन किया गया। मुस्तवाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीपात की संरक्षित बनाये रखना उचित समझते हैं जिससे कि वाद कठिनता ना बढ़े। अतः प्रार्थी के प्रार्थना अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर दिनांक 6/7/22 को जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की बहाली किया जाता है। मुस्तवाद के निस्तारण तक उभयपक्षों को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता है कि खसरा नं. 40 लगा 49, 52, 91/539 कुल किता 12 कुल रकबा 3.6000 है. वाके ग्राम चिरोला पटवार हल्का ब्रजपालपुरा भूमि स्थित तहसील कोटपूतली जिला जयपुर स्थित के मौके एवं स्थिति की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होवा इधर नेकरन से बंद होकर दाखिल दफ्तर हो। फैसला आज दिनांक 21/11/24 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

रा.के.मु.ज.-866-2,00,000-06

10,000,00